RNI NO. MPHIN/2023/88328

खबरों की वीडियो देखने हेतु स्कैन करे

READERS' OPINION

रीडर्स ओपिनियन

दैनिक समाचार पत्र

कुल पृष्ठ : 4 | बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | वर्ष : 4 अंक : 147

55KM तक हाईवे पर दौड़ती कार में दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता बोली- 8.30 घंटे थाने में बैठाकर रखा; न तो मुख्य आरोपी पकड़ाया, न दूसरे का नाम पता चला





उज्जैन, मध्य प्रदेश | उज्जैन से इंदौर के बीच 55 किमी तक चलती कार में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता के अनुसार, कॉफी पीने के बाद वह बेहोश होने लगी थी। आरोपियों ने उसे इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया।

चक्रेश जैन
मुख्य आरोपी
अब तक फरार

दूसरा आरोपी
पहचान नहीं

> थाने जाने के बाद जांच और बयान के नाम पर मुझे रातभर परेशान किया गया। मंगलवार सुबह फिर बुला लिया गया, जबकि आरोपी को बुलाकर उससे पूछताछ की जानी चाहिए थी।
>
> **पीड़िता**



कॉफी पीने के बाद बेहोश होने लगी थी युवती

कॉफी शॉप का CCTV



पीड़िता आरोपी की कार में बैठती दिखी

टोल से गुजरती कार



काली कार (इंदौर की ओर)

ऐसे हुई घटना

1. कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर चक्रेश जैन से बातचीत शुरू हुई।
2. 26 अक्टूबर को युवती बस से उज्जैन आई और मेघदूत होटल के सामने शाम करीब 5.30 बजे उतरी।
3. चक्रेश काले रंग की कार से वहां पहुंचा और युवती उसकी कार में बैठ गई।
4. आगे जाकर चक्रेश ने उसे कॉफी पिलाई। इसके बाद एक अन्य युवक भी कार में बैठा, जिसे वह नहीं जानती थी।
5. रास्ते में दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से **जबरदस्ती** की और मारपीट भी की। इसके बाद युवती बेहोश हो गई। उसे इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया।

अरविंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ा



आरोपियों ने युवती को इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया। वहां से उसने अपने दोस्त को फोन किया।

पीड़िता का आरोप

- मुझे रात 9 बजे से सुबह 5.30 बजे तक थाने में बैठाकर रखा।
- पुलिस बार-बार घटना के बारे में पूछती रही, जबकि मुझे पूरी घटना याद नहीं थी।
- पुलिस को चक्रेश से पूछना चाहिए कि उसका दूसरा साथी कौन था।



पुलिस को मिले सुराग

- कॉफी शॉप के **CCTV** फुटेज मिले
- टोल से गुजरती कार के **CCTV** फुटेज मिले (इंदौर की ओर)
- उज्जैन से इंदौर 55 KM का रूट तय किया

कानूनी कार्रवाई

- पीड़िता के आवेदन पर धारा 70 (1), 127 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज।
- पीड़िता के कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं।

अब क्या?

- मुख्य आरोपी चक्रेश जैन की तलाश जारी।
- दूसरे आरोपी की पहचान के लिए CCTV और अन्य साक्ष्यों की जांच।
- पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है।

RNI NO. MPHIN/2023/88328

खबरों की वीडियो देखने हेतु स्कैन करे

READERS' OPINION

रीडर्स ओपिनियन

दैनिक समाचार पत्र

कुल पृष्ठ : 4 | बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | वर्ष : 4 अंक : 147

इंदौर में हाईटेक डबलडेकर ब्रिज से सिंहस्थ को मिलेगी रफ्तार

लवकुश चौराहे पर ₹175 करोड़ का ट्रैफिक इंटरचेंज, इंदौर-उज्जैन का सफर 40 मिनट में पूरा होने की उम्मीद

इंदौर,मध्यप्रदेश | इंदौर के लवकुश चौराहे पर बने हाईटेक डबलडेकर ब्रिज से सिंहस्थ 2028 के दौरान यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि सिंहस्थ के दौरान इंदौर और उज्जैन के बीच रोजाना करीब 4 लाख वाहनों की आवाजाही हो सकती है। ऐसे में यह ट्रैफिक इंटरचेंज वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। करीब ₹175 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की एक भुजा पर यातायात शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी भुजा का लोकार्पण जल्द किए जाने की तैयारी है। दूसरी भुजा शुरू होने से इंदौर से उज्जैन आने-जाने



वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने वर्ष 2023 में इस परियोजना का निर्माण शुरू कराया था। मेट्रो कॉरिडोर के साथ समन्वय और तकनीकी जटिलताओं के कारण काम कई चरणों में पूरा किया गया। परियोजना का उद्देश्य व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करना और उज्जैन की ओर जाने वाले वाहनों को बेहतर मार्ग उपलब्ध कराना है।

इंदौर में ₹3 करोड़ की अवैध शराब जब्त

2 ट्रकों से मिलीं 3,000 पेटियां, 7 दिन की निगरानी के बाद कार्रवाई

इंदौर, मध्य प्रदेश | इंदौर के इंदौर बायपास के पत्थर मुंडला क्षेत्र में मंगलवार रात DGGI और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से करीब 3,000 पेटियां जब्त कीं। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹3 करोड़ बताई गई है। जानकारी के मुताबिक, टीमों को शराब की बड़ी खेप के परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने करीब 7 दिन



तक ट्रकों की गतिविधियों पर नजर रखी और मंगलवार रात उन्हें पकड़ लिया।

अब जांच की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही, अवैध परिवहन से जुड़े लोगों और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

इंदौर जिला जेल में प्रहरी के पास मिला संदिग्ध सामान

कपड़ों और जूतों में छिपाकर रखे थे बीड़ी-तंबाकू, चरस मिलने के दावे पर जेल प्रशासन का अलग बयान

इंदौर, मध्य प्रदेश | इंदौर जिला जेल के मुख्य गेट पर तलाशी के दौरान जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान के कपड़ों और जूतों से बीड़ी और तंबाकू के पैकेट मिलने का मामला सामने आया है। अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उसे जेल ड्यूटी से हटा दिया गया है और विभागीय जांच शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात करीब 2 बजे ड्यूटी पर पहुंचे प्रहरी की तलाशी के दौरान यह सामान मिला। पूरी प्रक्रिया जेल परिसर में लगे CCTV कैमरों की निगरानी में की गई। मामले में चरस मिलने को लेकर अलग - अलग दावे सामने आए हैं। जेल अधीक्षक जवाहर

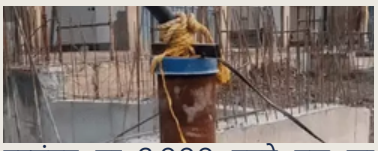


मंडलोई ने बीड़ी और तंबाकू मिलने की पुष्टि की, लेकिन चरस मिलने से इनकार किया। वहीं, सूत्रों के हवाले से चरस बरामद होने का दावा किया गया है। प्रहरी ने कथित तौर पर बताया कि यह सामान जेल में बंद शुभम नेपाली तक पहुंचाया जाना था। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचने की आशंका को लेकर सवाल उठे हैं। विभागीय जांच में बरामद सामान और पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

इंदौर में निजी बोरिंग पर रोक, जिला जल अभावग्रस्त घोषित

कलेक्टर का आदेश लागू, अवैध बोरिंग मशीनें होंगी जब्त; उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

इंदौर,मध्य प्रदेश | इंदौर जिले में कम बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एवं अशासकीय नलकूपों की खुदाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध का उल्लंघन कर बोरिंग करने या इसकी कोशिश करने पर संबंधित मशीन जब्त की जा सकती है। कार्रवाई के लिए राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। नियमों के



उल्लंघन पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना, 2 साल तक की कैद या दोनों सजाओं का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, सरकारी योजनाओं के तहत होने वाली बोरिंग को छूट दी गई है। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति भी मिल सकेगी। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी जलस्रोतों के अधिग्रहण का प्रावधान भी रखा है। यह फैसला गिरते भूजल स्तर के बीच पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

RNI NO. MPHIN/2023/88328

खबरों की वीडियो देखने हेतु स्कैन करे

READERS' OPINION

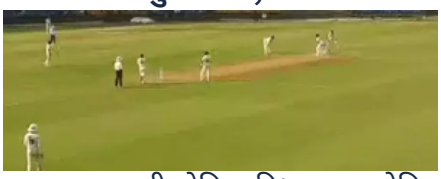
रीडर्स ओपिनियन

दैनिक समाचार पत्र

कुल पृष्ठ : 4 | बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | वर्ष : 4 अंक : 147

रणजी ट्रॉफी में MP की पहली जीत, बिहार को हराया

मध्य प्रदेश ने पारी और 174 रन से जीता मुकाबला, सारांश जैन ने झटके 13 विकेट



इंदौर,मध्यप्रदेश| रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप-ए मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बिहार को पारी और 174 रन से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का फैसला दूसरे दिन ही हो गया। बिहार की पहली पारी 99 रन पर सिमट गई। मध्य प्रदेश के स्पिनर सारांश जैन ने 7 विकेट लेकर टीम को बड़ी बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई।इसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 8 विकेट पर407 रन बनाकर पारी घोषित की। सक्षम पुरोहित ने 132 रन बनाए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने भी शतक लगाया। 308 रन से पिछड़ने के बाद बिहार की दूसरी पारी 134 रन पर सिमट गई। सारांश जैन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर मैच में कुल 13 विकेट अपने नाम किए। बिहार की ओर से आयुष लोहारूका ने नाबाद 76 रन बनाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके।सक्षम पुरोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से मध्य प्रदेश को 7 अंक मिले। टीम के शुरुआती 2 मुकाबले ड्रॉ रहे थे।



पाकिस्तान में भारतीय सामान का आयात 69% बढ़ा

सीधे व्यापार पर प्रतिबंध के बावजूद तीसरे देशों के जरिए भारतीय उत्पाद पहुंचने का दावा



पाकिस्तान/भारत | वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर अवधि में पाकिस्तान का भारत से आयात 69% बढ़ने का दावा किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक, आयात 61.74 मिलियन डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 36.55 मिलियन डॉलर था। हालांकि, खबर में दी गई रुपये की राशि का दोबारा सत्यापन जरूरी है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीधा व्यापारबंद होने के बावजूद भारतीय सामान दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे तीसरे देशों के जरिए पाकिस्तान पहुंचने की बात कही जा रही है। आरोप है कि कुछ मामलों में पैकेजिंग और दस्तावेज बदलकर सामान का मूल देश छिपाया जाता है।

थिंक टैंक GTRI के अनुमान के अनुसार, तीसरे देशों के जरिए होने वाला अनौपचारिक कारोबार सालाना 10 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। अतिरिक्त परिवहन और री-एक्सपोर्ट लागत के कारण ऐसे उत्पाद पाकिस्तानी उपभोक्ताओं को महंगे पड़ सकते हैं।

भोपाल में प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद

नाबालिगों के यौन शोषण मामले में सहयोगी राबिया बी को 20 साल की सजा, 77.64 लाख रुपए का जुर्माना



भोपाल,मध्य प्रदेश | भोपाल भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 77.64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि सहयोगी राबिया बी को 20 साल की जेल हुई।

अभियोजन के मुताबिक, बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था और शराब पिलाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। हिडन कैमरों से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप भी सामने आए।

जुलाई 2020 में रातीबड़ पुलिस को 5 नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं। जांच के बाद प्यारे मियां को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 3 पीड़िताओं को पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए।

RNI NO. MPHIN/2023/88328

खबरों की वीडियो देखने हेतु स्कैन करे

READERS' OPINION

रीडर्स ओपिनियन

दैनिक समाचार पत्र

कुल पृष्ठ : 4 | बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | वर्ष : 4 अंक : 147



La SAGESSE
SEAT OF WISDOM

MAIN CAMPUS

School Facilities

- Smart Class
- Robotics Lab
- Science Labs
- Computer Lab
- Squash Court
- Basketball
- Football
- Skating
- Swimming
- Library
- Rifle Shooting
- Pickle Ball
- Volleyball
- Cricket
- Lawn Tennis
- Indore Badminton Arena

About School

An institution that balances strong academic achievements with overall holistic development of students.

CONTACT US

Ph- 9201959432
9752411052
lasagesse.in

La Sagesse Group of Schools

Our Branches :-



Add.: H-14, Nalanda Parisar, Kesarbag Road, Indore Mo.: 7049299228



Address: 50, Rajaswa Gram Colony, Chhatribag, INDORE Mo.: 9589261662

Panda Road, Near Hotel Red Maple Mashal, A.B. Road, RAU



Senior Luxury Living

SBS
Assisted Living
Senior Citizen Care, Redefined





Panda Road, Near La Sagesse Academy,
Rau, Indore MP 453331
Phone: 9340380647, 8817137388
Email: sbsseniorspride@gmail.com
website: www.sbsseniorspride.com

स्वामी सौरभ सेंगर के लिए प्रकाशक/मुद्रक देवेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा कॉम्प्लेक्ट प्रिन्टर्स प्रा. लि. 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड, इंदौर (मध्यप्रदेश) से मुद्रित एवं ला साजेस कैम्पस, पान्धा रोड, होटल मशाल के पास राऊ, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित। संपादक : स्वामीप सेंगर। मोबाईल : 9244198932 आरएनआई नंबर : MPHIN/2023/88328 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा।)